न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

अधिग्रहण वाद संख्या– 03/2015–16
राज्य बनाम राजीव कुमार एवं अन्य

–:: आदेश ::–

29.7.15

पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक– 1980 सी०आर० सपत्र दिनांक– 05.05.2015 में निहित छापामारी के क्रम में जप्त कुल 100 लीटर किरासन तेल अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि दिनांक– 15.03.2014 को लिखित सूचना के आधार पर ग्राम– बहोरवा पूर्वी आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या– 62 के निकट एक लाल रंग मोटर साईकिल हिरोहोण्डा स्पलेण्डर निबंधन संख्या– BR-34B-4952 पर 50–50 लीटर का दो जरकिन में रखा हुआ किरासन तेल अभियुक्त के पास से बरामद किया गया। बरामद किरासन तेल के आधार पर सलखुआ थाना काण्ड संख्या–60/14 दिनांक– 15.03.2014 धारा– 7 E.C. Act में अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया है।

उपर्युक्त स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा– 6A(i) के तहत जप्त किरासन तेल के अधिग्रहण की स्वीकृति कार्यालय ज्ञापांक 1419–2 दिनांक– 05.02.2015 के द्वारा के द्वारा दी गई थी। प्रतिपक्षी से कारण पृच्छा की माँग की गई। प्रतिपक्षी– राजीव कुमार के द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल किया गया, जिसमें अधिग्रहण वाद में जप्त किरासन तेल से विपक्षी का कोई लेना–देना नहीं है और न ही कोई सरोकार है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। उनके द्वारा जप्त किरासन तेल को उचित दर पर बिक्री कराने की प्रार्थना की ताकि किरासन तेल बर्बाद न हो जाए। अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि जप्त किरासन तेल जन वितरण प्रणाली दूकान के माध्यम से ए०पी०एल० दर पर बिक्री करवाकर प्राप्त राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा करवाना सुनिश्चित करें।

इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एव शुद्धिकृत

समाहर्त्ता,
सहरसा।

29.7.2015
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1929–2 / जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 31 जुलाई, 2015 ई.।

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सरहसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Ραφκισηορε Πανδιτ

31.7.15
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

31.7.15